आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	P.No-46 24-7-17 P.N. 65 18.9.17
	....	
	विविध वाद संख्या-133/2017	
	धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता	
	मुखदेव यादव एवं अन्य ------- प्रथम पक्ष	
	बनाम	
	हरिहर सिंह एवं अन्य------------ द्वितीय पक्ष	
6.6.17	यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, छत्तरपुर के अप्राथमिकी संख्या-06/17 दिनांक 25.04.2017 के आधार पर धारा 144 द0प्र0सं0 अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रक्रिया की भूमि मौजा बासडीह उर्फ लठेया के खाता संख्या-44 प्लॉट सं0- 63 रकबा-0.07 $\frac{1}{2}$ एकड़ एवं 0.03 $\frac{3}{4}$ एकड़ जिसकी चौहद्दी उतर- निज क्रेता, दक्षिण- हरिहर सिंह, पुरब-रास्ता, पश्चिम- पुलिस चौकी से संबंधित है। तद्नुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर उनसे कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा प्रथम पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई।	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष का कथन है कि विवादित भूमि मौजा बासडीह उर्फ लठेया, थाना–छतरपुर के खाता संख्या–44, प्लॉट संख्या–63, रकबा क्रमशः 0.07 $\frac{1}{2}$ एकड़ एवं 0.03 $\frac{3}{4}$ एकड भूमि मुखदेव यादव पिता जगन यादव ग्राम–बासडीह उर्फ लठेया, थाना–छतरपुर, जिला पलामू ने निबंधित विक्रय पत्र संख्या–5027/4943 दिनांक 12.05.2010 एवं निबंधित विक्रय पत्र संख्या–1807 दिनांक 12.11.2008 के द्वारा विपक्षी हरिहर सिंह पिता चन्दर सिंह ग्राम–बासडीह उर्फ लठेया, थाना–छतरपुर, जिला पलामू से खरीद किये हैं और खरीदगी के बाद शांतिपूर्वक दखल कब्जा एवं स्वामित्व विक्रय पत्र के आधार पर मुखदेव यादव प्रथम पक्ष का चला आ रहा है। प्रथम पक्ष का यह भी कथन है कि प्रथम पक्ष निबंधित विक्रय पत्र में हरिहर सिंह ने स्वीकार किया है कि क्रेता को दखल कब्जा करा दिया गया । अब विक्रय सम्पति पर मेरा या मेरे किसी भी उत्तराधिकारी का कुछ हक या दावा नहीं रहा और न रहेगा। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि विवादित भूमि जो प्रथम पक्ष मुखदेव यादव पिता जगन यादव ग्राम–बासडीह उर्फ लठेया, थाना–छतरपुर, जिला पलामू को विपक्षी हरिहर सिंह पिता चन्दर सिंह ग्राम–बासडीह उर्फ लठेया, थाना–छतरपुर, जिला पलामू ने निबंधित विक्रय पत्र	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	संख्या- 5027/4943 दिनांक 12.05.2010 एवं निबंधित विक्रय पत्र संख्या-1807 दिनांक 12.11.2008 से भूमि विक्री किया था परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि बिक्री की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा दावे के समर्थन में निबंधित विक्रय पत्र सं0-1807 दिनांक 12.11.2008 एवं 2057/4943 दिनांक 12.05.2010 की छायाप्रति समर्पित किया गया है। थाना प्रभारी, छतरपुर ने अपने अप्राथमिकी संख्या-06/17 दिनांक 25.04.2017 में उल्लेख किया है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा भूमि विक्री किया गया। भूमि बिक्री करने के पश्चात् भी विपक्षी द्वारा प्रथम पक्ष को भय दिखाकर भूमि हड़पना चाहते है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूना । कारण पृच्छा एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया । अवलोकनोपरान्त ज्ञात होता है कि विवादीत भूमि विपक्षी हरिहर सिंह पिता चन्दर सिंह ग्राम-बासडीह उर्फ लठेया, थाना-छतरपुर, जिला पलामू ने प्रथम पक्ष के मुखदेव यादव पिता जगन यादव ग्राम-बासडीह उर्फ लठेया, थाना-छतरपुर, जिला पलामू को निबंधित विक्रय पत्र संख्या-5027/4943 दिनांक 12.05.2010 एवं निबंधित विक्रय पत्र संख्या-1807 दिनांक 12.11.2008 से बिक्री किया है।	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान बताया कि उपरोक्त वर्णित केवाला विपक्षी ने प्रथम पक्ष को निबंधित किया है। ऐसी स्थिति में प्रंथम पक्ष का दावा ठोस दस्तावेजों पर आधारित है । अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रक्रियान्तर्गत निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त की जाती है तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** 8/6/17 **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)। 8/6/17 **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)।	